

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

क्र. 795 / प्रयो.परि.परीक्षा / 2016

गुण्डरदेही, दिनांक – 05.03.2016

// सीधी भर्ती सूचना विज्ञापन //

महाविद्यालय के निन्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनाम	वेतनमान	कुल पद	अनारक्षित	आरक्षित	
					अ.जा.	अ.पि.वर्ग
01.	प्रयोगशाला परिचारक	5200–20200 ग्रेड पे – 1800	03	–	01 मुक्त	01 मुक्त 01 महिला

01. शैक्षणिक अर्हता योग्यता आयु सीमा तथा आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार लागू होगा।
02. विस्तृत जानकारी आवश्यक नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप महाविद्यालय की सूचना पटल एवं महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट – [www.gskycolllege.com](http://www.gskycolllege.com) में भी उपलब्ध है।
03. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजें तथा यह निर्धारित अंतिम तिथि 24.03.2016 की सायं 05:30 बजे से पूर्व प्राचार्य कार्यालय में पहुंच जाय।  
ठीप – डाक की गड्बड़ी के लिए महाविद्यालय जवाबदार नहीं होगा। निजी कुरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
04. नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक – 03.04.2016 को किया जायेगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को पृथक से दी जायेगी। परीक्षा तिथि के तीन दिवस पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने पर महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।
05. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।
06. पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं।

प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव  
महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

चयन – 01. उक्त पद लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता – 01. प्रयोगशाला परिचारक – दसवीं परीक्षा संबंधित विषय से उत्तीर्ण (विज्ञान, गृहविज्ञान एवं भूगोल)

02. आयु सीमा एवं अन्य शर्तें – 01. दिनांक – 01.01.2016 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हों  
किंतु 40 वर्ष से अधिक न हो।

02. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग/महिला तथा  
अन्य अभिर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट होगी।

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार  
को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट।

(बी.) महिला—शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट।

(सी.) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों के मामलों में अधिकतम आयु में 02 वर्ष की  
छूट।

(डी.) परिवार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सर्वांग पार्टनरों के लिए  
अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

(ई) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कृत अथवा गुंडाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान  
अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को  
अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

(एफ) निःशक्तजन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यह छूट छत्तीसगढ़ के  
जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःशक्तजन के उद्यमी, पुनर्वास  
केन्द्र, नेपीयर टाउन जबलपुर, म.प्र. के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ़ के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःशक्तजन  
प्रत्याशी को ही दी जावेगी।

(जी.) विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा के लिये देय अन्य छूट यथावत लागू रहेंगी। किंतु ऐसी  
छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित  
शर्तों के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी :—

(1) उपर्युक्त आयु – सीमा के छूट ऐसे उम्मीदवारों के लिए भी स्वीकार्य होगी जो आकस्मिकता निधि में  
वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारीत कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में  
नियोजित किया गया हों

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) ऐसे उम्मीदवार को जो छठनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा  
पहले की गई संपूर्ण अस्थीय सेवा को अधीक से अधीक 07 वर्ष तक की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक  
बार में की गई सेवाओं को योग हों, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते की उसके परिणाम स्वरूप जो आयु  
निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— छठनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी  
संघटन इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छ: माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार

कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

05. ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्य प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :-** शब्द "भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो, तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई के सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हों अथवा आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषि कर दिया गया हों :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवशति रियायतों (आस्ट्रिंग आउटकेसेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिय गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं),

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिय गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे एवं

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

**नोट :-** उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

05. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासी :—

(1) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(2) इस विषयक सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

06. अन्य शर्तें :—

01. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

02. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
04. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।  
 (क) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
 (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
05. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

#### 07. नियुक्ति चयन विधि :-

- (क) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाना।
1. लिखित परीक्षा – 100 अंक
- (ख) उपर्युक्त लिखित परीक्षा (जहाँ लागू हो) के प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची तथा अलग से संयुक्त प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जावेगी तथा प्रतिक्षा सूचियां भी तैयार की जायेगी, परंतु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।
- (ग) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (*Carry Forward*) नहीं किये जायेंगे, वरन् उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- (घ) निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
08. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।
09. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 24.03.2016 (सायं 05:30 बजे तक)
10. परीक्षा की तिथि :- दिनांक – 03.04.2016
11. परीक्षा केन्द्र :- लिखित परीक्षा का केन्द्र शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.) में रहेगा।
12. आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं ? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है। तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)
14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा पर की जावेगी।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

इच्छुक उम्मीदवारों को दिये गये प्रारूप में आवेदन पत्र प्राचार्य, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.) को केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 24.03.2016 (सायं 05:30 बजे तक) तक प्रेषित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो फूलस्केप सफेद कागज पर निर्धारिप्र प्रपत्र केवल एक तरफ डबल स्पेश में स्वच्छ टंकित कर उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु हस्तलिखित आवेदन पत्र (वांछित प्रविष्टियों को छोड़कर) मान्य नहीं होगा।

प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव  
महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

## आवेदन पत्र का प्रारूप

.....पद हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय.....

जिला बालोद (छ.ग)

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो चिपकाएं	
महिला	पुरुष

1. आवेदक/आवेदिका का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. पिता/पति का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. माता का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. जन्म तिथि (01.01.2016 को आयु)

वर्ष 



 माह 



 दिन

5. स्थायी पता:-

.....

.....

तहसील .....जिला.....

पिन कोड.....

दूरभाष/मोबाईल नंबर .....

6. पत्राचार का पता:-

.....

.....

तहसील .....जिला.....

पिन कोड.....

7. श्रेणी (सामान्य,अनुसूचित जाति,अनु जनजाति अन्य पिछळा वर्ग)

--	--	--	--

अनारक्षित

अपिव

अ.जा.

अ.ज.जा.

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई

जाति का नाम .....

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें )

उपजाति.....

**8. शैक्षणिक योग्यता:**

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक / प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1						
2						
3						
4						

9. तकनीकी अहतांए .....

10. रोजगार कार्यालय का नाम .....

जीवित पंजीयन क्र.एंव दिनांक .....

11. लिंग :- महिला या पुरुष जो लागू हो लिखे .....

नीचे 12 से 20 तक के लिए बाक्स में हॉ या नहीं, जो लागू हो लिखकर जानकारी दें तथा जहाँ— जहाँ उत्तर हॉ में हो, उसके पक्ष में प्रमाण— पत्र की सत्यपित फोटो कापी संलग्न करें:-

12. क्या आप संबंधित जिले के स्थायी निवासी हैं?

13. क्या आप छ.ग. शासन के स्थायी /अस्थायी सेवक हैं?

14. क्या आप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं?

15. क्या आप कार्यभारित कर्मचारी हैं?

16. क्या आपको शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया है ?

17. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अर्तगत छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी की

श्रेणी में आते हैं?

18. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अर्तगत भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आते हैं ?

19. क्या आप आयु सीमा में छुट चाहते हैं ?

20. क्या आप निःशक्तजन हैं?

// घोषणा पत्र //

मैं ..... शपथ पूर्व घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने उक्त आवेदन पत्र का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही अपने पात्र उम्मीदवार मानते हुए भरा हूँ एवं मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी पूर्ण सही है। यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती हैं तो मेरी चयन परीक्षा / नियुक्ति निरस्त की जा सकती हैं जो मुझे मान्य होगी। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं से सम्बंध पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता / करती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसका विवरण इस पत्र में भरा गया है तथा निचे किया गया हस्ताक्षर मेरा ही है। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।

दिनांक .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान:- .....

आवेदक का नाम .....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :-

संलग्नों की सूची :-

- 1..... 2.....  
3..... 4.....  
4..... 5.....  
6..... 6.....  
7..... 8.....

आवेदक का हस्ताक्षर

.....  
नाम .....

नोट :-

(1) कोई भी कालम रिक्त न छोड़े जहाँ जानकारी निरंक हो वहाँ निरंक लिखा जावे।

(2) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन स्वीकार्य किया जोवेगा।

(3) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(4) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य.....

जिला - ..... (छ.ग.) को दिनांक ..... समय सायं 05:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक –

आवेदित पद का नाम – .....

प्रमाणित फोटो चिपकाएं

1. अभ्यार्थी का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. माता का नाम : .....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

अभ्यार्थी का पता:-

.....  
.....  
.....  
.....

तहसील ..... जिला.....

पिन कोड – .....

दूरभाष / मोबाइल नंबर .....

परीक्षा का दिन दिनांक एवं समय

नोट:- अनुक्रमांक, परीक्षा हेतु परीक्षा का केन्द्र, परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय को छोड़कर शेष सभी प्रविष्टियाँ अभ्यार्थी द्वारा भरी जावें।

प्रचार्य

के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित